न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 15 / 2023

श्री जयंत जोरासिया निवासी 27, बरकत नगर जयपुर पिन 302015 राज0

——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 26.07.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 25.03.2023 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में कूट रचित चालानों के माध्यम से दस्तावेजों के पंजीकरण संबंधी प्रकरणों में दोषी वरिष्ठ अधिकारियों को बचाया जा रहा है। जयपुर शहर के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज प्रकरणों (FIR) की जांच पुलिस आयुक्त द्वारा गठित एस.आई.टी. (SIT) कर रही है। जयपुर शहर के बाहर और अन्य जिलों में उजागर हुए मामलों की जांच संबंधित पुलिस थानों में ही हो रही है। एसआईटी की जांच में केवल कनिष्ठ कर्मचारियों को अभियुक्त बनाया जा रहा है और उप पंजीयक कार्यालय में पदस्थापित रहे उप पंजीयक एवं चुनिंदा कर्मचारियों को बचाने के प्रयास हो रहे हैं। उप पंजीयक कार्यालय में यदि ई ग्रास पोर्टल पर चालान का सत्यापन कर लिया जाता तो कूट रचित चालान पकड़ में आ जाते और राजकोष को किसी भी तरीके की हानि नहीं होती । ई ग्रास पोर्टल पर काम के लिए संबंधित उप पंजीयक के पदीय नाम से आईडी और पासवर्ड बने हुए थे। इस आईडी और पासवर्ड का उपयोग केवल संबंधित उप पंजीयक और उस कार्यालय में जिस कर्मचारी को चालान सत्यापन का कार्य सौंपा गया था, वही कर सकते थे क्योंकि आईडी और पासवर्ड उन्हें ही उपलब्ध थे। चालान सत्यापन या तो उप पंजीयक कर सकता था या फिर वह कर्मचारी जिसे यह काम सौंपा गया था। एसआईटी उन्हीं को बचाने में लगी है। जयपुर शहर के बाहर दर्ज मामलों की जांच में किसी कर्मचारी को दोषी नहीं माना जा रहा इसलिए आग्रह है कि एस आई टी और अन्य जिलों के थानों में दर्ज प्रकरणों की जांच स्थानांतरित कर पूरे प्रकरण की एकीकृत जांच उस निकाय से करवाई जाए, जिसको सम्पूर्ण राजस्थान का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) प्राप्त हो।

इसीलिए कृपया अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग को निर्देशित कर माननीय गृह मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर, विभिन्न जिलों में दर्ज उक्त समस्त प्रकरणों जिनका विवरण हाल ही माह दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक (अपराध शाखा) राजस्थान को प्राप्त है, उन समस्त

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रकरणों की जांच C.I.D.(Crime Branch) या Special Operations Group (SOG) को स्थानांतरित करवाए।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 501 दिनांक 23.06.2023 व 559 दिनांक 5.07.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक /आर.टी.आई./2023/401 दिनांक 19.07.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 230 दिनांक 13.06.2023 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक